न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

UPET010020842011

सत्र परीक्षण संख्या–315/2011

उत्तर प्रदेश राज्य

------अभियोजन

–बनाम–

1–बच्चू उर्फ रमेश पुत्र ज्वाला प्रसाद
2–चन्दन सिंह पुत्र राजवीर
3–कैलाश चन्द्र गोले पुत्र रामभरोसे
4–लाखन सिंह लोधे पुत्र फूल सिंह
5–भूपेन्द्र सिंह पुत्र राकेश सिंह **-----(अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह की पत्रावली आदेश दिनांकित 18–01–2025 के माध्यम से पृथक की गयी है)**

निवासीगण–मौहल्ला साढूपुरा, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।

-----अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–161/2010
धारा–147, 148, 149, 307, 420 भा0दं0सं0
थाना–निधौलीकलॉ, जिला एटा।

–एवं–

UPET010009742011

सत्र परीक्षण संख्या–319/2011

उत्तर प्रदेश राज्य

------अभियोजन

बनाम

चन्दन सिंह गोले पुत्र राजवीर सिंह
निवासी–मौहल्ला साढूपुरा, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।

---अभियुक्त

मु0अ0सं0–162/2010
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–निधौलीकलॉ, जिला एटा।

–एवं–

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.05.01 13:17:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPET010009722011

सत्र परीक्षण संख्या–316/2011

उत्तर प्रदेश राज्य

------अभियोजन

बनाम

कैलाश चन्द्र पुत्र रामभरोसे
निवासी–मौहल्ला साढूपुरा, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।

---अभियुक्त

मु०अ०सं०–163/2010
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–निधौलीकलॉ, जिला एटा।

–एवं–

UPET010009752011

सत्र परीक्षण संख्या–317/2011

उत्तर प्रदेश राज्य

------अभियोजन

बनाम

लाखन सिंह लोधे पुत्र फूल सिंह
निवासी–मौहल्ला साढूपुरा, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।

---अभियुक्त

मु०अ०सं०–164/2010
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–निधौलीकलॉ, जिला एटा।

–एवं–

UPET010009732011

सत्र परीक्षण संख्या–318/2011

उत्तर प्रदेश राज्य

------अभियोजन

बनाम

भूपेन्द्र सिंह पुत्र राकेश सिंह
निवासी–मौहल्ला साढूपुरा, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।

---अभियुक्त

मु0 अ 0 सं0–165/2010
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–निधौलीकलॉ, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
सत्र परीक्षण संख्या/सत्र वाद संख्या	315/2011, 319/2011, 316/2011,,317/2011, 318/2011,
मुकदमा अपराध संख्या	161/2010, 162/2010, 163/2010, 164/2010, 165/2010,
धारा	147, 148, 149, 307, 420 भा०दं०सं०, 25 आयुध अधिनियम, 25 आयुध अधिनियम, 25 आयुध अधिनियम, 25 आयुध अधिनियम
थाना	निधौलीकलॉ
अभियुक्त	बच्चू उर्फ रमेश पुत्र ज्वाला प्रसाद, चन्दन सिंह पुत्र राजवीर, कैलाश चन्द्र गोले पुत्र रामभरोसे एवं लाखन सिंह लोधे पुत्र फूल सिंह, भूपेन्द्र लोधी पुत्र राकेश सिंह
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री सर्वेश कुमार चौहान, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री यशवीर सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र पाल सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह सौलंकी, विद्वान अधिवक्ता
घटना की तिथि	14.07.2010
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	14.07.2010
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–105 ए/2010, दिनांक 03.10.2010, आरोप पत्र संख्या–105/2010, दिनांक 20.07.2010, आरोप पत्र संख्या–106/2010, दिनांक 20.07.2010, आरोप पत्र संख्या–107/2010, दिनांक 20.07.2010, आरोप पत्र संख्या–108/2010, दिनांक 20.07.2010, आरोप पत्र संख्या–109/2010, दिनांक 20.07.2010
प्रसंज्ञान की तिथि	05.01.2011, 04.01.2011, 04.01.2011, 04.01.2011, 03–01–2011
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	21.07.2011, 21.07.2011, 21.07.2011, 21.07.2011, 21–07–2011

निर्णय की तिथि	01.05.2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–161/2010, धारा–147, 148, 149, 307, 420 भा0दं0सं0, अ०सं०–162/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम, अ०सं०–163/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम, अ०सं०–164/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम, अ०सं०–165/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम के मामले में विवेचनोपरांत पृथक–पृथक आरोप–पत्र अभियुक्तगण बच्चू उर्फ रमेश, चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र गोले, लाखन सिंह लोधे एवं अभियुक्त चन्दन, अभियुक्त कैलाशचन्द्र व अभियुक्त लाखन सिंह एवं अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर चारों मामलों को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ धारा 207 दं0प्र0सं0 के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या–315/2011, सत्र परीक्षण संख्या–319/2011, सत्र परीक्षण संख्या–316/2011, सत्र परीक्षण संख्या–317/2011 एवं सत्र परीक्षण संख्या–318/2011 के रूप में संस्थित हुए।

2– वादी एस0ओ0 आर० पी० तिवारी, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा के द्वारा तहरीर (फर्द बरामदगी) प्रदर्श क–01 दिनांक 14–07–2010 को समय 20:30 बजे दी, जो निम्नवत् हैः–

दिनांक 14.07.2010 को वह एस०ओ० आर० पी० तिवारी मय एस०आई० अजय सिंह व हमराह कां० 690 धनपाल सिंह व कां० 302 राजमणि व कां० 258 अवधेश कुमार व कां० 1200 बृजेश कुमार मय जीप सरकारी नं0 UP82C0014 चालक कां० अजयपाल के थाना हाजा से व हवाले रपट नं0 32 समय 16:30 बजे विनावर वाहन चैकिंग व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि जब वह मय हमराही फोर्स के जलेसर निधौली रोड तकुआवर तिराहे पर पहुँचे तो जरिये मुखविर खास मिली कि नुयूखेडा की तरफ से दो गाडियों जिनमें एक मार्शल सफेद रंग नम्बर HR16C2743 दूसरी गाडी लाल रंग की स्पेशिओ नम्बर HR37A7832 में सवार होकर कुछ व्यक्ति ठगी करने वाले जिनके पास नाजायज असलाह भी रखते हैं और उनके पास सोने जैसे नकली बिस्कुट जमीन में डालकर नकल बिस्कुट के बदले में औरतों से पहने हुए जेवरात को उतरवा लेते हैं। इस सूचना को सही मानकर जनता के गवाहन फराहम करने की कोशिश की गई तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ तथा अपना काम बताकर बिना नाम, पता बताये चले गये व मजबूरी वश एस0ओ0 ने मय मुखविर के मय हमराही फोर्स आपस में

जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बधित वस्तु नहीं है और गहनता से वाहन चैकिंग करने लगे थोड़ी ही देर में उक्त बताई हुई दोनो गाड़ियां दिखाई दिये, जो नौखेडा की तरफ से आ रही हैं और मुखविर इशारा करके चला गया तभी दोनों गाडियो के चालकों ने धीमी गति से पुलिस फोर्स की चैकिंग को देखकर गाडियां मोड़ने का प्रयास किया। हम पुलिस पार्टी सड़क के दोनो तरफ फैल करके आगे बढ़े, तभी तिराहे से करीब 45 कदम की दूरी पर समय 18:15 बजे मार्शल गाडी में बैठे व्यक्तियों ने अपने को घिरा जानकर उतरकर अपने हाथों में लिये ना नाजायज असलहे से फायर करना शुरू कर दिया तभी हम पुलिस पार्टी ने दुबारा कारतूस भरने का मौका न देकर जान की परवाह न करते हुए चार व्यक्तियों को पकड़ लिया पीछे आने वाली लाल रंग की स्पेशिओ गाडी नौखेडा की तरफ फायर करके भगा ले गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से क्रमशः नाम पता पूछते हुये जामातलाशी नियमानुसार ली गयी तो पहले ने अपना नाम चन्दन सिंह गोले पुत्र राजवीर सिंह निवासी साढूपुरा पोस्ट, निधौलीकलॉ एटा के दाहिने हाथ में पकड़े एक पोनिया देशी 12 बोर नाल लोहा करीब 2 बलिस्त जिसमें आगे निशाना साधने के लिये पत्ती लगी है एवं नीचे एक छल्ला लोहे का बाडी करीब 7 अंगुल जिसमें ऊपर चैम्बर के तमन्चा खोलने व बन्द करने की पत्ती लगी है नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड व ऊपर हैम्मर लगा है बट करीब 7 अंगुल जिसमें दोनो तरफ लकडी की चापें स्क्रूदार कीलों से कसी हैं, तमन्चा चालू हालात में है। पोनियां को खोलकर देखा तो खोखा कारतूस फंसा है, जिसमें ताजा चलने की गन्ध आ रही है, जिसके पैन्ट की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिन्दा रंग सफेद नं0 1 तथा सामने की जेब से एक माचिस नं0 27 बरामद हुई, जिसे खोलकर देखा तो लाल रंग के कागज में आयताकार पीली धातु का बिस्कुट बरामद हुआ है। दूसरे ने अपना नाम कैलाश चन्द्र गोले पुत्र राम भरोसे निवासी मौहल्ला झन्ती साढूपुरा कस्बा व थाना निधौलीकलॉ एटा बताया, जिसकी जामा तलाशी दाहिने हाथ में पकडे एक तमन्चा 315 बोर जिसकी नाल करीब 11 अंगुल नाल के आगे पत्ती लगी है। बाडी करीब 6 अंगुल नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड ऊपर हैम्मर लगा है तथा बांयी तरफ तमन्चा खोलने व बन्द करने के लिये कील दार स्प्रिंग लगी है वट करीब 4 अंगुल जो दोनो तरा तरफ लकड़ी की चायें स्कूदार कील से कसी है। तमन्चा की नाल को खोलकर देखा तो बोबा कारतूस चैम्बर में फसा है, सूँघने से ताजा चलने की गन्ध आ रही है। नाल को उसी प्रकार वन्द किया गया। तमन्चा चालू हालत में है। पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस जिन्दा 315 बोर एवं पैन्ट की बांयी जेव से एक माचिस तो मार्का वरामद हुई जिसे बोलकर देखा। पहने पेन्ट का दाहिना में लिपटा पीली धातु का बिस्कुट बरामद हुआ तथा उसी जेब से 800/ रुपये नकद बरामद हुये तथा तीसरे ने तमन्चा 315 बोर जिसका नाल करीब 8 अंगुल लोहा आगे निशाना साधने की पत्ती लगी है। बाडी करीब 6 अंगुल जिसमें नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड व ऊपर हैम्मर लगा है। बाडी में बायीं तरफ नाल को खोलने व बन्द

करने के लिए स्क्रूदार कील लगी है वट करीब 5 अंगुल दोनो तरफ लकडी की चापें स्क्रूदार कील से कसी है। तमन्चा चालू हालत में बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिन्दा 315 बोर पीतल के बरामद हुए तथा पैन्ट की जेब से नकद 650 रुपये बरामद हुए तथा चौथे ने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह लोधे पुत्र राकेश सिंह निवासी साढूपुरा थाना निधौलीकलॉ एटा बताया बताया, जिसके जामातलाशी से पैन्ट की दाहिनी तरफ घर्सा हुआ एक तमन्चा देशी 315 बोर नाल करीब 8 अंगुल वाडी करीब 5 अंगुल जिसके नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड ऊपर हैम्मर लगा है तमन्चा खोलने व वन्द करने के लिये वायीं तरफ स्क्रूदार कील लगी है। बट करीब 4 अंगुल दोनो तरफ लकडी की चापें स्कूदार कील से कसी है। जो चालू हालत में है पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा 315 बोर कारतूस बरामद हुआ एवं पहने शर्ट की सामने की जेब से एक माचिस व 510 रुपये बरामद हुए। माचिस टायप राइटर जिसमें लाल रंग के कागज में लिपटा पीतल का विस्कुट बरामद हुआ तथा मौके मार्शल गाडी नं0 HR16C2743 मिली, जिसे चन्दन सिंह ने ने गाडी अपनी बतायी अभियुक्तो से सामूहिक पूछताछ पर बताया और अपनी गलती मानते हुये जुर्म से इकवाल करते हुये बताया कि साहब हम लोग सोने के बिस्कुट नकली डालकर खास करके महिलाओं से बिस्कुट सोने का लालच देकर उनके जेवरात उतरवा लेते है और बिस्कुट उनको दे देते है तथा यह भी बताया कि पीछे वाली लाल रंग की स्पेशियो नम्बर HR37A7832 जो बच्चू उर्फ रमेश पुत्र ज्वाला प्रसाद् गोले निवासी साढूपुरा थाना निधौलीकलॉ एटा चला रहा था जो हमारा साथी है और वह अपनी गाडी को साथ में रखता है। मौका पाकर गाडी लेकर भाग गया है। पकडे चारों अभियुक्तगणों से तमन्चा व कारतूसों को रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे। अभियुक्तो को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश निर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया है। अभियुक्तों को जुर्म से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस में लिया गया एवं माल बरामदा तमन्चा कारतूस एवं बिस्कुट नकली को उसी प्रकार रखकर मुल्जिमान की बरामदगी के अनुसार अलग–अलग कपडों में रखकर मौके पर सील सर्वे मुहर करके नमूना मुहर तैयार किये गये। उसके पास अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी–साढूपुरा थाना निधौलीकलॉ एटा श्रीमान अपर जिलाधिकारी एटा प्रशासन एटा का वाद संख्या 1272 धारा 3 यू०पी0 गुण्डा एक्ट जिला बदर का जो जो पूर्व में चन्दन सिंह को तामील कराया जा चुका है, जिसके सम्बंध में अलग से कार्यवाही की जावेगी। फर्द का मजमून उसने बोल बोल कर एस 0 आई 0 अजब सिंह से लिखायी गयी। फर्द पढकर सुनाकर हमराही कर्मचारीगण को पढकर सुनाकर गवाही के हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों को दी जावेगी। गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया।

3– वादी मुकदमा के द्वारा दिये गये फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 के आधार पर थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में दिनांक 14.07.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–12 मु०अ०सं०–161/2010, धारा 147,148,149,307,420 भा0 दं0 सं0 व 25 आयुध अधिनियम, दिनांक 14.07.2010 को समय 18:15 बजे अभियुक्तगण बच्चू उर्फ रमेश, चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र गोले, लाखन सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह तथा मु०अ०सं० 162/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम चरन सिंह, मु०अ०सं० 163/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम कैलाश चन्द्र भोले, मु०अ०सं० 164/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम लाखन सिंह लोधे, मु०अ०सं० 165/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध दर्ज की गयी, जिसका खुलासा नकल रपट सं0 44, समय 20:30 दिनांकित 14.07.2010 प्रदर्श क–13 में किया गया।

4– प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त इस मामले की विवेचना पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 14.07.2010 को ग्रहण करते हुए पूर्व विवेचक द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करते हुए वादी आर 0 पी0 तिवारी एस 0 ओ 0, गवाह फर्द आर्म्स अजब सिंह, कॉ0 धनपाल सिंह, कॉ0 राजभाटी, कॉ0 अवधेश के बयान अंकित किये। एस 0 आई 0 अजब सिंह को साथ लेकर घटना स्थल पहुंचा व उनकी निशानदेही पर नक्शा नजरी **प्रदर्श क–2** तैयार किया गया। अभियुक्तगण चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र, लाखन सिंह व भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 105/2010 प्रदर्श क–03 प्रेषित करते हुए अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश की पत्रावली शेष होने के कारण उसके विरुद्ध विवेचना जारी रखी गयी तथा दिनांक 20.07.2010 को ही अभियुक्त चन्दन सिंह गोले के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 106/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम, अ 0 सं0 162/2010 को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त कैलाश चन्द्र के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 107 धारा 25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क–05 में प्रेषित किया। अभियुक्त लाखन सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 108 धारा 25 आयुध अधिनियम अ 0 सं0 164/2010, **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 109/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम अ 0 सं0 165/2010 में प्रेषित किया जो पत्रावली पर एस 0 टी0 संख्या 318/2011 है, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। अभियोजन स्वीकृति आदेश **प्रदर्श क–8** डाला गया। मु०अ०सं० 163/2010 बनाम कैलाश चन्द्र में अभियोजन स्वीकृति **प्रदर्श क–9** तथा मु०अ०सं० 164/2010 बनाम लाखन सिंह में अभियोजन स्वीकृति **प्रदर्श क–10** डाला गया। अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 105 ए धारा 147,148,149,307,420 भा0 दं0 सं0 में प्रेषित किया जो पत्रावली पर एस 0 टी0 संख्या–315/2011 है जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। मूल एफ०आई०आर० एस 0 टी0 नं०–315/2011 धारा

147,148,149,307, 420 भा0 दं0 सं0 में पत्रावलित है जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। जी0 डी0 पर **प्रदर्श क–13** डाला गया।

5– पॉचों आपराधिक प्रकरण एक–दूसरे से संबंधित हैं, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के प्रार्थना–पत्र कागज संख्या पर पारित आदेश दिनांकित 17–04–2015 के माध्यम से पॉचों सत्र परीक्षणीय मामलें को समेकित करते हुए सत्र परीक्षण संख्या–315/2011, राज्य बनाम बच्चू उर्फ रमेश आदि, की पत्रावली को अग्रणी वाद बनाया गया और उसी में समस्त साक्ष्य अभिलिखित की गयी। अतः न्यायहित में सुविधा की दृष्टि से पॉचों सत्र परीक्षणीय मामलों का निस्तारण संयुक्त रूप से एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

6– अभियुक्तगण बच्चू उर्फ रमेश, चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र, लाखन सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह उपस्थित आये। उनके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 21.07.2011 द्वारा धारा 147,148,307/149,420 भा0 दं0 सं0 एवं आदेश दिनांकित 21.07.2011 द्वारा अभियुक्तगण चन्दन सिंह, कैलाश सिंह, लाखन सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक–पृथक विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की। विचारण के दौरान अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के अनपस्थित हो जाने के कारण मु०अ०सं०–161/2010 धारा–147, 148, 149, 307, 420 भा0 दं0 सं0, थाना–निधौलीकलॉ के मामले में विचारण आदेश दिनांकित 18.01.2025 से पृथक किया गया।

7– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 04 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रमांक	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू०–01	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक धनपाल सिंह	हमराही
पी०डब्लू०–02	हेड कां० ब्रजेश कुमार	हमराही
पी०डब्लू०–03	सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा	विवेचक
पी०डब्लू०–04	उपनिरीक्षक रामबृज	विवेचक

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**

1	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–01	पी०डब्लू०–02 हेड कॉ0 ब्रजेश कुमार
2	नक्शा नजरी एस 0 टी0 315/2011	प्रदर्श क–02	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
3	आरोप पत्र संख्या 105/2010 एस 0 टी0 नं0 315/2011	प्रदर्श क–03	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
4	आरोप पत्र संख्या 106/2010 एस 0 टी0 नं0 319/2011	प्रदर्श क–04	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
5	आरोप पत्र संख्या 107/2010 एस 0 टी0 नं0 316/2011	प्रदर्श क–05	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
6	आरोप पत्र संख्या 108/2010 एस 0 टी0 नं0 317/2011	प्रदर्श क–06	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
7	आरोप पत्र संख्या 109/2010 एस 0 टी0 नं0 318/2011	प्रदर्श क–07	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
8	अभियोजन स्वीकृति आदेश एस 0 टी0 सं0 319/2011	प्रदर्श क–08	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
9	अभियोजन स्वीकृति आदेश एस 0 टी0 सं0 316/2011	प्रदर्श क–09	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
10	अभियोजन स्वीकृति आदेश एस 0 टी0 सं0 317/2011	प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
11	आरोप पत्र संख्या 105 ए/2010 एस 0 टी0 सं0 315/2011	प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार वर्मा
12	एफ०आई०आर० एस 0 टी0 संख्या 315/2011	प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–04 विवेचक उपनिरीक्षक रामबृज
13	जी0 डी0 संख्या 44 दिनांक 14.07.2010	प्रदर्श क–13	पी०डब्लू०–04 विवेचक उपनिरीक्षक रामबृज

9– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 15.05.2025 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा

अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कथन किया है कि वह मौके पर नहीं था। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 के कथानक को गलत बताते हुए वह मौके पर नहीं था व पुलिस द्वारा गुडवर्क की नियत से झूँठी कार्यवाही करने व उक्त कथित घटना से उनका कोई सरोकार व वास्ता नहीं है। पी०डब्लू०–02 के कथानक को गलत बताया है। पी०डब्लू०–03 के कथानक को गलत रूप से विवेचना करना बताया है। पी०डब्लू०–04 के कथानक को गलत है, उससे किसी तरह की बरामदगी न होने का कथन किया गया है। अभियोग को पुलिस द्वारा रंजिशन गुडवर्क की नियत से झूँठा मुकदमा में शामिल किया गया है। सफाई साक्ष्य देने का कथनक करते हुए स्वयं को वह मौके पर नहीं था, न ही उससे कोई बरामदगी हुयी, पुलिस द्वारा रंजिशन उसे नामित किया गया है।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

11– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक धनपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.07.2010 को वह थाना निधौलीकलॉ पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को एस०ओ० आर० पी० तिवारी मय हमराह एस0आई0 अजब सिंह कां० राममणित कां० अवधेश कुमार, कां० बृजेश कुमार के साथ मय सरकारी जीप चालक कां० अजय पाल सिंह गाड़ी संख्या UP82G0014 थाना हाजा से रपट नं0–32 समय 16:30 बजे वास्ते तलाश वांछित अपराधी व तलाश चैकिंग में मामूर थे। हम पुलिस बल जलेसर निधौली रोड तकुआवर तिराहे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि नूहखेड़ा की तरफ से दो गाडिया जिसमें एक मार्शल सफेद रंग ने फर्द मुताबिक, दूसरी गाड़ी स्पेसियो नं० फर्द मुताबिक में सवार होकर कुछ व्यक्ति ठगी करने वाले जिनके पास नाजायज असलाह है। उनके पास सोने जैसे नकली बिस्किट, जमीन में डालकर नकली बिस्किट के बदले औरतो से पहना हुआ जेवर उतरवा लेते है। इस सूचना को सही मानकर गवाहन फराम करने का प्रयास किया लेकिन भलाई बुराई के कारण जनता का कोई गवाहान तैयार नही हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। मजबूरीवश एस0ओ0 ने मय मुखबिर के मय हमराही फौर्स के आपस में जामातलाशी लेकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से संबन्धित वस्तु नहीं है और गहनता से वाहन चैकिंग करने लगे। थोड़ी देर में मुखबिर द्वारा बतायी गयी दोनो गाड़ियाँ दिखायी दी। जो नूहखेड़ा की तरफ से आ रही थी। मुखबिर इशारा कर के चला गया। तभी दोनो गाड़ियो के चालको ने धीमी गति से पुलिस पार्टी की चेकिंग को देखकर गाडियो को मोड़ने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी सड़क के दोनों ओर फैल कर आगे बड़े तभी तिराहे से करीब 45 कदम की दूरी पर समय करीब 18:15 बजे मार्शल गाड़ी में बैठे व्यक्तियो ने अपने को घिरा जान कर, उतर कर अपने अपने हाथो में लिये नाजयाज

असलाहो से फायर करना शुरू कर दिया। तभी हम पुलिस पार्टी ने दुबारा कारतूस भरने का मौका न दे कर जान की परवाह न करते हुये चार व्यक्तियों को पकड़ लिया। पीछे आने वाली लाल रंग की स्पेसियो गाड़ी पीछे की तरफ नूहखेड़ा की तरफ फायर कर भगा ले गया। क्रम से पकडे हुये चारो व्यक्तियो का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम चंदन सिंह गोले पुत्र राजवीर सिंह निवासी साढूपुरा थाना निधौलीकलॉ जनपद एटा बताया। जिसके दायने हाथ से एक पौनिया देसी बारह बोर जिसकी नाल में एक फूंका खोखा कारतूस फंसा हुआ था जिसे सूँघने पर बारूद की गंध आ रही थी। जिसकी पहने पैण्ट की दायनी जेब से दो कारतूस जिन्दा सफेद रंग 01 तथा सामने की जेब से एक माचिस प्राप्त हुयी जिस खोल कर देखा तो लाल रंग के कागज में पीली धातु का एक बिस्किट बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम कैलाश चन्द्र गोले पुत्र रामभरोसे निवासी मोहल्ला छन्टी साहूपुर कस्बा व थाना निधौलीकलॉ बताया जिसकी जामातलाशी दाये हाथ में पकड़े एक तमंचा 315 बोर, हुलिया फर्द मुताबिक, तमंचे की नाल खोल कर देखा तो चैम्बर में एक खोखा कारतूस फंसा हुआ था, जिसे सूँघने पर ताजा चले कारतूस की महक आ रही थी। पहने पेन्ट की दायीजेब से एक कारतूस जिन्दा 315 बोर व पहने पेन्ट की बांयी जेब से एक माचिस प्राप्त हुयी जिस खोल कर देखा तो लाल रंग के कागज में पीली धातु का एक बिस्किट बरामद हुआ तथा उसी जेब से 800 रूपये बरामद हुये। तीसरे ने अपना नाम लाखन सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी साढूपुरा कस्बा व थाना निधौलीकलॉ जिला एटा बताया। जामा तलाशी में एक तमंचा 315 बोर, हुलिया फर्द मुताबिक, पहने पेन्ट की दायीजेब से 2 कारतूस जिन्दा 315 बोर तथा पेन्ट की जेब से 650 रूपये प्राप्त हुये। चौथे ने अपना नाम भूपेन्द्र सिहं लोधे पुत्र राकेश सिंह निवासी साढूपुरा कस्बा व थाना निधौलीकलॉ बताया। सकी जामातलाशी पहन पेन्ट की दाये फेन्ट में घुसा हुआ तमंचा 315 बोर बारमद हुआ। जिसका हुलिया फर्द मुताबिक है तथा पहने पेन्ट की दायी जेब से एक कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा पहने शर्ट की सामने की जेब से एक माचिस व 510 रूपये बरामद हुये। माचिस में लाल रंग के कागज में लिपटा पीला बिस्किट बारमद हुआ। मौके पर मार्सल गाड़ी HR16C2743 मिली। जिसे चन्दन सिंह ने अपना होना बताया। अभियक्तो ने सामूहिक पूछताछ में बताया गया कि साहब हमलोग नकली सोने के बिस्किट डाल कर खास कर महिलाओ से सोने का लालच देकर उनके जेवर उतरवा लेते हैं। ये भी बताया कि पीछे चलने वाली गाड़ी लाल रंग स्पेशियो नं HR37A7832 जो बहू उर्फ रमेश पुत्र ज्याला प्रसाद चला रहा था। जो हमारा साथी है और वह अपनी गाड़ी साथ में रखता है मौका पाकर गाड़ी लेकर भाग गया है। अभियुक्त से बरामद नकली बिस्किट, माचिस, तमंचो व कारतूसो को अलग अलग कपड़ो में रखकर सील सर्वे नमूना मौहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर 50 आर पी तिवारी द्वारा बोलबोल कर एस 0 आई 0 अजब सिंह से तैयार करायी गयी थी। जिसे पढ़कर

सुनाकर हमराही कर्मचारीगणो के गवाही के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। माल मुल्जिमान को लेकर थाने आये थे। फर्द के मुताबिक एस 0 ओ 0 साहब ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। दौरान विवेचना विवेचक ने उसका बयान लिया था।

12– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि वह वर्ष 2007 में निधौलीकलॉ थाने पर तैनात था। इस घटना के लगभग 2–3 माह बाद उसका स्थानंतरण थाना जलेसर में हो गया था। वह तत्कालीन थानाअध्यक्ष का घटना वाले दिन हमराह था। हम लोग उस दिन मय ड्राइवर 5–6 पुलिस कर्मचारी थे। गाड़ी से हम लोग थाने से चार–सवा चार बजे निकले थे। हम लोग उस दिन चेंकिग और तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे। घटना से पूर्व हम लोगो ने कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा था। हम लोगो ने किसी वाहन का चालान किया था और न ही कोई वाहन सीज किया था। वाहन चेंकिग हम लोग निधौली से करीब 8 किमी की दूरी पर तकुवावर पर कर रहे थे। मुखबिर ने सूचना उसे नही दी थी, एस 0 ओ 0 को दी थी। सूचना मिलने के बाद हम जलेसर की तरफ नहीं गये थे। हम समस्त पुलिस बल ने गाड़ियों को रूकवाया था। पकड़ी गयी मार्शल गाड़ी में 4 लोग थे। एक गाडी स्पेशियो भाग गयी थी। उसमें कितने लोग बैठे थे, ये वह नही देख पाया था। शाम के समय करीब 06:30 का समय था, हल्का अंधेरा था। जो गाड़ी भाग गयी थी उसका पुलिस बल द्वारा पीछा नही किया गया था जो गाडी भाग गयी थीष उसमें कितने लोग थे और फायर किसने किया वह नहीं बता सकता। इस घटना में किसी भी पुलिस बल को किसी भी प्रकार की फायर आर्म इंजरी नहीं आयी थी और न ही किसी अन्य प्रकार की चोटे आयी थी। जो लोग भाग गये थे उनकी गिरफ्तारी किसने की थी और कब की थी, ये उसकी जानकारी में नहीं थी। वह किसी मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था। ये गाड़ी किसकी थी और इसके कागज उसके द्वारा नहीं देखे गये थे। एस 0 ओ 0 साहब द्वारा देखे गये थे। अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश मौके पर नहीं पकड़ा गया था और न ही उसने बच्चू उर्फ रमेश को फायर करते हुए था। पुलिस बल द्वारा जनता गवाहान फराम करने की कोशिश की थी लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। घटना के सम्बन्ध में उसका बयान विवेचक द्वारा उसी दिन लिया गया था, तारीख उसे याद नहीं है। इस घटना से सम्बन्धित चार मुकदमें 25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत हुए थे। बच्चू उर्फ रमेश के खिलाफ 25 आयुध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। घटना से सम्बन्धित जो भी माल बरामद हुआ था। वह आज न्यायालय के समक्ष नहीं है। फर्द उसके द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। फर्द एस 0 ओ 0 आर० पी० तिवारी द्वारा बोल बोलकर एस 0 आई 0 अजब सिंह से तैयार करायी गयी थी। यह कहना गलत है कि एस 0 ओ 0 साहब ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर झूंठा मुकदमा पंजीकृत कराया हो। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूंठा बयान दे रहा है। कुल तीन फायर हुए थे जिनमें से एक भागी हुई गाड़ी से हुआ था और दो पकड़े हुए व्यक्तियों द्वारा किये

गये थे जिन व्यक्तियों ने फायर किया था उनके नाम चन्दन व लाखन थे। फायर नजदीक से हुए थे। समय अधिक होने के कारण उसे दूरी याद नहीं है। जो गाड़ी पकड़ी गयी थी उसे कौन चला रहा था उसे याद नहीं है। अभियुक्तगण को पकड़ने के बाद हम लोग करीब एक घण्टा घटना स्थल पर रूके थे जो माल बरामद हुआ था वो मौके पर ही सील किया गया था। सील मौहर करने वाला सामान साथ ही रहता है। ये सील मौहर दरोगा अजब सिंह ने की थी। फर्द मौके पर ही बनायी थी। फर्द एस 0 ओ 0 साहब ने दरोगा को बोल बोलकर लिखायी थी। जो माल बरामद हुआ था उसकी नापतौल की गयी थी। नापतौल एस 0 आई 0 अजब सिंह द्वारा की गयी थी। ये चारों लोग निधौलीकलॉ कस्बा के थे। घटना स्थल पर तीन फायर हुए थे। दो खोखे फायर आर्म के चैम्बर से प्राप्त हुए थे। घटना स्थल पर खोखे कारतूस व जिन्दा कारतूस जो बरामद होते है। उनके बारे में फर्द में लिखा जाता है जो फायर हुए थे। उनसे किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोटें नहीं आयी थी। उसने विवेचक को घटना स्थल का निरीक्षण नहीं कराया था। घटना स्थल के उत्तर पर में निधौली रोड है। शाम का समय था। फायर की आवाज सुनकर कोई व्यक्ति पास नहीं आया था। घटना स्थल भट्टे के सामने है। यह दूरी करीब 50 कदम की दूरी पर है। उस भट्टे से कोई भी व्यक्ति घटना स्थल पर आया था या नहीं उसे नहीं पता। हम लोग थाने पर कितने बजे पहुंचे थे, उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगणों के विरुद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया हो। यह भी गलत है कि उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए झूॅठी कारगुजारी दिखायी गयी हो। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में झूॅठी गवाही दे रहा है।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी०डब्लू०–02 हेड कॉ0 ब्रजेश कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.07.2010 को वह थाना निधौलीकलॉ पर कां० के पद पर तैनात था, उक्त दिनांक को 50 आर०पी० तिवारी मय हमराह एस 0 आई 0 अजब सिंह कां राममणित, कां० अवधेश कुमार, मय सरकारी जीप चालक कां० अजय पाल सिंह गाडी संख्या UP82G0014 के साथ थाना हाजा से रपट नं 32 समय 16:30 बजे वास्ते तलाश वांछित अपराधी व तलाश चेकिंग में मामूर थे, हम पुलिस बल जलेसर निधौली रोड तकुआवर तिराहै तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि नूहखेड़ा की तरफ से दो गाडिया जसमें एक मार्शल सफेद रंग नं फर्द मुताबिक, दूसरी गाड़ी स्पेसियो नं० फर्द मुताबिक में सवार होकर कुछ व्यक्ति ठगी करने वाले जिनके पास नाजायज असलाह है। उनके पास सोने जैसे नकली बिस्किट, जमीन में डालकर नकली बिस्किट के बदले औरतो से पहना हुआ जेवर उतरवा लेते है। इस सूचना को सही मानकर गवाहन फराम करने का प्रयास किया लेकिन भलाई बुराई के कारण जनता का कोई गवाहान तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये । मजबूरीवश एस 0 ओ 0 ने मय मुखबिर के मय हमराही फौर्स के आपस में जामातलाशी लेकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से

संबन्धित वस्तु नहीं है और वाहन चेकिंग करने लगे। थोड़ी देर में मुखबिर द्वारा बतायी गयी दोनो गाड़ियाँ दिखायी दी। जो नूहखेड़ा की तरफ से आ रही थी। मुखबिर इशारा कर के चला गया। तभी दोनो गाड़ियो के चालको ने धीमी गति से पुलिस पार्टी की चेकिंग को देखकर गाडियो को मोड़ने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी सड़क के दोनों ओर फैल कर आगे बड़े तभी तिराहै से करीब 40–45 कदम की दूरी पर समय करीब 18:15 बजे मार्शल गाड़ी में बैठे व्यक्तियों ने अपने को घिरा जान कर उतर कर अपने अपने हाथो में लिये नाजयाज असलाहों से फायर करना शुरू कर दिया। तभी हम पुलिस पार्टी ने दुबारा कारतूस भरने का मौका न देकर चारों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पीछे आने वाली लाल रंग की स्पेसियो गाडी पीछे की तरफ नूहखेड़ा की तरफ फायर कर भगा ले गया। पकड़े हुये चारो व्यक्तियो का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम चंदन सिंह गोले पुत्र राजवीर सिंह निवासी साढूपुरा थाना निधौलीकलॉ जनपद एटा बताया। जिसके दाहिने हाथ से एक पौनिया देसी बारह बोर जिसकी नाल में एक फूंका खोखा कारतूस फंसा हुआ था जिसे सूंघने पर बारूद की गंध आ रही थी। जिसकी पहने पैण्ट की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिन्दा सफेद रंग 01 तथा सामने की जेब से एक माचिस प्राप्त हुयी जिस खोल कर देखा तो लाल रंग के कागज में पीली धातु का एक बिस्किट बरामद हुआ । दूसरे ने अपना नाम कैलाश चन्द्र गोले पुत्र रामभरोसे निवासी मोहल्ला छन्टी सादूपुर कस्बा व थाना निधौलीकलॉ बताया जिसकी जामातलाशी दाये हाथ में पकड़े एक तमंचा 315 बोर, हुलिया फर्द मुताबिक, तमंचे की नाल खोल कर देखा तो चैम्बर में एक खोखा कारतूस फैसा हुआ था, जिसे सूँघने पर ताजा चले कारतूस की महक आ रही थी। पहने पेन्ट की दायी जेब से एक कारतूस जिन्दा 315 बोर व पहने पेन्ट की बायी जेब से एक माचिस प्राप्त हुयी जिस खोल कर देखा तो लाल रंग के कागज में पीली धातु का एक बिस्किट बरामद हुआ तथा उसी जेब से 800 रूपये बरामद हुये। तीसरे ने अपना नाम लाखन सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी साढूपुरा कस्बा व थाना निधौलीकलॉ जिला एटा बताया। जामा तलाशी में एक तमंचा 315 बोर, हुलिया फर्द मुताबिक, हने पेन्ट की दायीजेब से 2 कारतूस जिन्दा 315 बोर तथा पेन्ट की जेब से 650 रूपये प्राप्त हुये। चौथे ने अपना नाम भूपेन्द्र सिहं लोधे पुत्र राकेश सिंह निवासी साढूपुरा कस्बा व थाना निधौलीकलॉ बताया। जिसकी जामातलाशी पहन पेन्ट की दाये फेन्ट में घुसा हुआ तमंचा 315 बोर बारमद हुआ। जिसका हुलिया फर्द मुताबिक है तथा पहने पेन्ट की दायी जेब से एक कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा पहने शर्ट की सामने की जेब से एक माचिस व 510 रूपये बरामद हुये। माचिस में लाल रंग के कागज में लिपटा पीला बिस्किट बरामद हुआ। मौके पर मार्सल गाड़ी HR16C2743 मिली जिसे चन्दन सिंह ने अपना होना बताया। अभियक्तो ने सामूहिक पूंछताछ में बताया गया कि साहब हम लोग नकली सोने के बिस्किट डाल कर खास कर महिलाओ से सोने का लालच देकर उनके जेवर उतरवा लेते हैं।

ये भी बताया कि पीछे चलने वाली गाडी लाल रंग स्पेशियो नं HR37A7832 जो बबू उर्फ रमेश पुत्र ज्वाला प्रसाद चला रहा था जो हमारा साथी है और वह अपनी गाड़ी साथ में रखता है मौका पाकर गाड़ी लेकर भाग गया है। अभियुक्त से बरामद नकली बिस्किट, माचिस, तमंचो व कारतूसो को अलग अलग कपड़ो में रखकर सील सर्वे नमूना मौहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर एस 0 ओ 0 आर पी तिवारी द्वारा बोलबोल कर एस 0 आई 0 अजब सिंह से तैयार करायी गयी थी। जिसे पढ़कर सुनाकर हमराही कर्मचारीगणो के गवाही के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। इस मुकदमें के वादी एस 0 ओ 0 आर०पी० तिवारी व हमराह उपनिरीक्षक अजब सिंह की मृत्यु हो चुकी है। वह उनके साथ तैनात रहा है। उसने उनके लिखते पढ़ते देखा है । वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। साक्षी को पर एस 0 टी0 नं0 315/2011 पर कागज संख्या 04 अ/01,02 मूल फर्द को दिखाया तो साक्षी ने कहा कि ये वही फर्द है जो मौके पर एस 0 ओ 0 आर० पी० तिवारी द्वारा बोलने पर हमराह उपनिरीक्षक अजब सिंह द्वारा लिखी गई थी जिस पर प्रदर्श क 01 डाला गया न्यायालय के मौखिक आदेश पर माल मुकदमा खोला गया जो एक सफेद सील बन्द कपडे के अन्दर 12 बोर की एक पौनिया जिसे खोलने पर उसके चैम्बर में एक खोखा कारतूस फँसा हुआ था तथा दो जिन्दा कारतूस 01 नम्बर के निकले जिन्दा कारतूसो पर वस्तु प्रदर्श 01 व 02 खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 03 पौनिया पर वस्तु प्रदर्श 04 व कपडे पर वस्तु प्रदर्श 05 डाला गया दूसरा सील बन्डल खोलने एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर निकला जिस पर जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 06 तमंचे पर वस्तु प्रदर्श 07 व कपडे पर वस्तु प्रदर्श 08 डाला गया तीसरा सील बन्डल खोलने पर एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस निकला जिस पर जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 09 तमंचे पर वस्तु प्रदर्श 10 व कपडे पर वस्तु प्रदर्श 11 डाला गया तथा चौथा सील बन्डल खोलने पर एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर निकले 02 जिन्दा कारतूस वस्तु प्रदर्श 12 व 13 तमंचे पर वस्तु प्रदर्श 14 व कपडे पर वस्तु प्रदर्श 15 डाला गया तथा सील बन्डल खोला गया तथा पांचवा जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2010 अंकित है तथा अभियुक्त कैलाश का नाम अंकित है, को खोलने पर एक माचिस की डिब्बी तोप मारका अन्दर लाल कागज में पीली धातु का टुकडा निकला पीली धातु पर प्रदर्श 16 कागज पर 17 माचिस के कवर पर 18 व कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 19 डाला गया। छडा सील बन्डल मुकदमा अपराध संख्या 161/2010 अभियुक्त नाम भूपेन्द्र अंकित है खोलने पर एक डिब्बी टाइप राइटर मारका के अन्दर गुलाबी कागज के अन्दर पीली रंग का धातु का टुकड़ा निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श 20 कागज पर 21 मचिस के डिब्बी पर 22 व कपडे पर 23 डाला गया। सातवा सील बन्डल खालने पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2010 अभियुक्त का नाम चन्दन अंकित है को खोलने पर एक मचिस की डिब्बी 27 नंबर मारका के अन्दर गुलाबी कागज में

पीली धातु का एक टुकडा निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श 24 व कागज पर 25 मचिस 26 व कपडे पर वस्तु प्रदर्श 27 डाला गया माल मुल्जिमान को लेकर थाना आये व एस 0 ओ 0 ने मुकदमा पंजीकृत कराया गया विवेचक ने दौरान विवेचना उसका बयान लिया था।

14– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि थाने पर 2009 से 2011 तक तैनात रहा थाने से जब हम लोग रोड गस्त तलाश अभियुक्त वंछित अपराधी व वाहन चेकिंग के लिए जाते है तो उसका इन्दाज थाने की जी०डी० में करके जाते है यह सही है इस घटना के संबंध में क्षेत्र में गये थे इसका इन्दाज जी० डी० में करके गये थे लेकिन फाइल देख कर कहा कि रवानगी जी०डी० नही है। वह थाने से 6 व 6:30 बजे क्षेत्र पर चले थे जब क्षेत्र में जाते है तो सरकारी असलहा लेकर जाते है लेकिन फर्द में कही पर उल्लेख नहीं है कि सरकारी असलाह हम लोग साथ लेकर गये थे जिस गाडी से गये थे उसका नं० UP82 G0014 था थाने से वह जलेसर रोड तकुआवर मोड पर वाहन चेकिंग के लिए गये थे हम मोड पर पहुँच कर वाहन चेकिंग करने लगे उस समय वाहनों का काफी आना जाना था हम लोगों ने किसी का चालान नही काटा था न ही किसी आदमी व हमराही गढ़ से बात चीत नहीं हुई थी माल मुकदमा से संबंधित मार्शल कार व स्पेसिओ कार हम लोगो को देखकर मोड़ कर भागने का प्रयास किया। आगे मार्शल कार थी पीछे स्पेसिओ कार थी मुड गयी अगली वाली जी मार्शल कार थी जिसमें से कुछ लोग उतरकर फायरिंग करने लगे मुल्जिमों ने एक एक फायर किया था फर्द बरामदगी में फायर करना अंकित है किन्तु एक एक फायर किया ये अंकित नहीं है पुलिस ने प्रति रक्षा में कोई फायर नहीं किया हमने मुल्जिम को 50 गज की दूरी से देखा था। फायर करके भागने लगे तब हम लोगो ने दौड कर पकडा। मुल्जिमानों को हमने 50–60 मीटर पर दौड़ाकर पकडा मुल्जिमान अलग अलग दिशा में भाग रहे थे। इस वक्त उसे याद नहीं है कि वह किस मुल्जिम को पकड़ा था क्योंकि की घटना को 15 साल हो गया किस मुल्जिम की तलाशी ली थी ये भी उसे याद नहीं है पकड़ने के बाद तलाशी लेकर मौका पर ही फर्द बनायी गयी। न्यायालय में प्रस्तुत तमंचों में कौन से किस अभियुक्त से बरामद हुए याद नहीं क्योकि घटना को काफी समय हो गये है मुकदमा अपराध संख्या 163/2010 इस वक्त नहीं खुल रहा किन्तु जब बरामद हुआ था तब चालू हालत में था बरामद पीली धातु जिस डिब्बी में पैक किया गया उसके मारके का उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं है फर्द की नकल का अभियुक्त कैलाश ने क्या किया उसे याद नही है अभियुक्त कैलाश से तमंचा कारतूस व पीली धातु बरामद हुयी थी एक गाडी भी बरामद हुयी थी यह गााडी किसकी थी उसे ध्यान नही है इसके अलावा अभियुक्त कैलाश कुछ बरामद हुआ था य नही उसे याद नहीं है मार्शल गाडी जो बरामद हुयी थी उस एच आर नंबर था अंक ध्यान नही है। बरामद मार्शल थाने लेकर आये थे। यह कहना गलत है हम लोग घटना स्थल पर न गये हो। यह कहना भी गलत है अभियुक्त कैलाश कोई फायर न किया हो। ये

कहना भी गलत कि अभियुक्त कैलाश से कोई तमंचा व कारतूस व पील धातु बरामद न हुयी हो यह कहना गलत है कि अभियुक्त कैलाश को घटना स्थल से न पकडा और घर से पकड कर तमंचा व कारतूस व पीली धातु लगारकर झूठा चलान कर दिया हो य कहना गलत भी गलत कि पुलिस में तैनात होने के नाते झूठी गवाही दे रहा है। वास्ते चन्दन व लाखन जब हम लोग थाने से चलते है तो उसक इन्दाज जी०डी० पर इन्द्राज करते है कार्यवाही का पूरा उल्लेख फर्द बरामदगी में किया गया है थाने से निकलने के बाद आपस जामा तलाशी ली थी ये जामा तलाशी थाने से निकलने के बाद गेट पर नहीं ली थी। हम लोगों ने थाने से निकलने के बाद गेट से पहले आपस में जामा तलाशी ली थी उसे जामा तलाशी नही है उसे याद नहीं कि जिक्र फर्द बरामदगी में जिक्र किया था लेकिन फर्द बरामदगी मे निकलने के बाद व गेट के बीच में आपस में जामा तलाशी वाली बात नही लिखी है इसकी वह वजह नहीं बता सकता है थाने से हम वाहन चेकिंग के लिए गये थे किसी मुल्जिम के दबिश के लिए नहीं गये थे हम चेकिंग के लिए निकले थे किसी वंछित अपराधी के चेकिग में नहीं निकले थे। यदि फर्द बरामदगी में वांछित अपराधी की तलाश वाली बात लिखी है तो किसी साथी पुलिस कर्मी का कोई वांछित अपराधी हो सकता है जिसकी उसे जानकारी नहीं है थाने से चलते वक्त हम सभी के पास असलाह था और कोई समान हम लोगो के पास नही था किस साथी पुलिसकर्मी पर असलाह के अलावा क्या था वह नहीं बता सकता थाने से निकलकर हम लोग जलेसर रोड पर गये थे थाने से जलेसर रोड पर करीब 10–12 किली० मी०दूर गये थे जलसेर रोड हमें करीब सात बज गये थे जलेसर रोड से लौटने के बाद मुखबिर ने एस०एच० को सूचना करीब सवा सात बजे सूचना दी थी इसके बाद हम लोग घटना स्थल पर ही रहे जलेसर रोड जहा हम गये थे। वहाँ से घटना स्थल की दूरी करी ढाई किलोमीटर होगी इस दूरी में हमे पांच से सात मिनट लगे। सवा सात बजे हम घटना स्थल पर आ गये तभी मुखबिर ने सूचना दी थी जब मुखबिर की सूचना मिलने के बाद अन्य कोई गाडी चेक नहीं किया। मुखबिर की सूचना के करीब तीन चार मिनट बाद अभियुक्त की गाडी आ गयी थी। अभियुक्तगण की गाडी लगभग साढे सात बजे आ गयी होगी। अभियुक्तगण की गाडी जलेसर की तरफ से आयी थी दिशा याद नही है। अभियुक्तगण गाडी में बैठकर आये थे इन गाडी को कौन अभियुक्त चला रहा था उसे याद नहीं है गाडी में बैठे हुए अभियुक्त नही दिखायी नही दे रहे शाम का वक्त था। अभियुक्त चन्दन व लाखन गाडी में किस सीट पर बैठे से उसे याद नहीं है। अभियुक्तगण ने गाडी के अन्दन से फायर नहीं किया था बाहर से किया था अभियुक्तगण ने गाडी से निकलने के बाद फायर किया फिर भागे दरोगा जी ने नक्शा नजरी के बारे उससे नही पूछा दरोगाजी ने फोन से उसका बयान लिया था दरोगा जी को उसने अपने बयानों में अभियुक्तो की बात बाहर से फायर करने की बतायी थी यदि मेरे 161 बयानों में ये बात नहीं लिखी है तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता है। न्यायालय में प्रस्तुत तमंचा व पीली

धातु को देखकर वह नहीं बता सकता कि अभियुक्त चन्दन व लाखन से कौन से तमंचा व कौन सी पीली धातु बरामद हुयी थी। उसने किस अभियुक्त को पकड़ा था ये उसे याद नहीं है उसने अभियुक्तगणों से बरामदगी की थी लेकिन ये याद नहीं है किस मुल्जिम से बरामद हुआ था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को घर से पकड़ कर थाने से फर्जी बरामदगी दिखा दी हो और झूठा चालान कर दी हो बरामदगी व गिरफतारी के समय जनता का कोई भी गवाह नहीं था। हम कुल पाँच लोग थे इस घटना से पहले किसी मुल्जिम की गिरफतारी नहीं की थी हमने वाहन चेकिग की थी किसी वाहन का चालान नही किया था न ही कोई वाहन बन्द किया था मार्शल गाडी की पूरा नंबर याद नहीं एच०आर० याद है। स्पेसियों का गाडी का नंबर याद नहीं क्योंकि वह गाडी मौके से भाग गयी थी। स्पेसियों गाडी से कोई फायर नहीं हुआ था स्पेसियों गाडी में कितने लोग बैठे थे ये भी उसे याद नहीं है मौके पर चार लोग पकडे गये बच्चू उर्फ रमेश मौके से नहीं पकड़ा गया था वह बच्चू उर्फ रमेश को जानता पहचनता नही था बच्चू उर्फ रमेश द्वारा कोई फायर नहीं किया गया था। इस घटना में पुलिस बल के कोई फायर आर्म इन्जरी नही आयी न ही कोई चोटे आयी थी। पास में ईट भटटा था जिस पर मजदूर रहते हो लेकिन इस घटना में जनता का कोई गवाह नही था बच्चू उर्फ रमेश मौके पर नहीं पकड़ा गया था। बच्चू उर्फ रमेश न्यायालय में हाजिर हुआ या पुलिस द्वारा गिरफतार हुआ इसकी उसे जानकारी नही है फर्द उसके द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। यह कहना गलत है कि एस०ओ० साहब द्वारा फर्जी गुड वर्क दिखाने के लिए झूठी कार्यवाही की है।

15– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार शर्मा** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2010 में 14 जुलाई को वह थाना जलेसर पर वहैसियत एस 0 एस 0 आई 0 तैनात था। उसके द्वारा मु०अ०सं० 161/2010 बनाम बच्चू उर्फ रमेश, चन्दन सिंह उर्फ गोले, कैलाश चन्द्र गोले, लाखन सिंह, भूपेन्द्र सिंह धारा 147,148,149, 307,420 भा0 दं0 सं0 व मु०अ०सं० 162/2010 बनाम चन्दन सिंह धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 163/2010 बनाम कैलाश चन्द्र गोले धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 164/2010 बनाम लाखन सिंह धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 165/2010 बनाम भूपेन्द्र सिंह धारा 25 आयुध अधिनियम की विवेचना 17 जुलाई 2010 को ग्रहण की थी। ये सभी अभियोग थाना निधौलीकलॉ एटा पर पंजीकृत हुए थे। इन अभियोगों का पर्चा नं0 1 दिनांक 15.07.2010 को थाना निधौलीकलॉ एटा पर नियुक्त एस 0 आई 0 श्री बांकैलाल द्वारा किता किया गया था जिसमें चिक नकल रपट, बयान एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक व गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण चन्दन सिंह, कैलाश सिंह गोले, लाखन सिंह, भूपेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया था। तदुपरान्त 17 जुलाई 2010 को सी0 ओ 0 जलेसर के

आदेश दिनांकित 16.07.2010 द्वारा उसे विवेचना स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। उसी दिन वह जलेसर से चलकर निधौलीकलॉ पहुंचा। वहां पर उसके द्वारा विवेचना ग्रहण कर पर्चा नं0 2 दिनांक 17.07.2010 को किता किया गया। वादी श्री आर0पी0 तिवारी एस0ओ0, गवाह फर्द एस0आई0 अजब सिंह, कॉ0 धनपाल सिंह, कॉ0 राजभाटी, कॉ0 अवधेश के बयान अंकित किये। एस0आई0 अजब सिंह को साथ लेकर घटना स्थल पहुंचा व उनकी निशानदेही पर नक्शा नजरी उसके द्वारा तैयार किया गया जो पत्रावली पर एस0टी0 315/2011 पर कागज संख्या 7अ है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह शिनाख्त करता है जिस पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। इसी पर्चे पर समई साक्षी रामपाल सिंह व होरीलाल के बयान अंकित किये गये। विवेचना स्थानान्तरण आदेश व नक्शा नजरी को केस डायरी के साथ संलग्न किया गया। पर्चा नं0 4 दिनांक 20.07.2010 को किता किया जिसमें विवेचनात्मक विश्लेषण क्रम में पूर्व में गिरफ्तारशुदा चारो अभियुक्त चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र, लाखन सिंह व भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 105/2010 दिनांक 20.07.2010 धारा 147,148,149,307, 420 भा0दं0सं0 प्रेषित करते हुए अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश की गिरफ्तारी शेष होने के कारण उसके विरुद्ध विवेचना जारी रखी गयी। यह आरोप पत्र एस0टी0 315/2011 सरकार बनाम बच्चू उर्फ रमेश की पत्रावली पर कागज सं0 3अ/2 है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया। दिनांक 20.07.2010 को ही अभियुक्त चन्दन सिंह गोले के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 106, धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 162/2010 में प्रेषित किया। यह पत्रावली एस0टी0 नं0 319/2011 में कागज संख्या 3अ है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। दिनांक 20.07.2010 को अभियुक्त कैलाशचन्द्र के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 107 धारा 25 आयुध अधिनियम में प्रेषित किया गया जो पत्रावली एस0टी0 316/2011 में कागज संख्या 3अ है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–5 अंकित किया गया। दिनांक 20.07.2010 को ही अभियुक्त लाखन सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 108, धारा 25 आयुध अधिनियम मु०अ०सं० 164/2010 में प्रेषित किया गया जो सम्बन्धित पत्रावली एस0टी0 317/2011 में कागज संख्या 3अ है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 अंकित किया गया। दिनांक 20.07.2010 को ही अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 109/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम मु०अ०सं० 165/2010 में प्रेषित किया गया जो सम्बन्धित एस0टी0 318/2011 में कागज संख्या 3अ है। उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–7 अंकित किया गया। मु०अ०सं० 162/2010, 163/2010, 164/2010, 165/2010 में धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियोजन स्वीकृति शेष होने का उल्लेख केस डायरी में किया गया।

मु०अ०सं० 161/2010, धारा 147,148,149,307,420 भा0 दं0 सं0 की विवेचना एस 0 सी0 डी0 से जारी रही जिसमें बच्चू सिंह की गिरफ्तारी शेष थी। धारा 25 आयुध अधिनियम के अभियोगों में आरोप पत्र दाखिल करते समय अभियोजन स्वीकृति शेष थी। दिनांक 12.08.2010 को एस 0 सी0 डी0 1 मु०अ०सं० 162/2010 में जिला मजिस्ट्रेट एटा से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति का उल्लेख किया गया। अभियोजन स्वीकृति पत्रावली एस 0 टी0 नं0 319/2011 पर कागज संख्या 6 अ है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है। उसने उनके हस्ताक्षर पहचानता है, जिस पर प्रदर्श क–8 अंकित किया गया। दिनांक 12.08.2010 को ही मु०अ०सं० 163/2010 बनाम कैलाश चन्द्र में जिला मजिस्ट्रेट एटा से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति का उल्लेख एस 0 सी0 डी0 1 में किया गया। यह स्वीकृति सम्बन्धित पत्रावली एस 0 टी0 नं0 316/2011 में कागज संख्या 7 अ है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क–9 अंकित किया गया। दिनांक 12.08.2010 को ही मु०अ०सं० 164/2010 बनाम लाखन सिंह में जिला मजिस्ट्रेट एटा से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति का उल्लेख किया गया। यह स्वीकृति सम्बन्धित पत्रावली एस 0 टी0 नं0 317/2011 बनाम लाखन सिंह पर कागज संख्या 7 अ है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–10 अंकित किया गया। दिनांक 23.07.2010 को मु०अ०सं० 161/2010 धारा 147,148,149,307,420 भा0 दं0 सं0 प्रकरण में एस 0 सी0 डी0 1 में वांछित अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश की गिरफ्तारी व दबिश हेतु उल्लेख किया गया। अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुआ। इसी क्रम में दिनांक 26.07.2010 को एस 0 सी0 डी0 2, दिनांक 31.07.2010 को एस 0 सी0 डी0 3, दिनांक 03.08.2010 को एस 0 सी0 डी0 4, दिनांक 06.08.2010 को एस 0 सी0 डी0 5 व दिनांक 26.08.2010 को एस 0 सी0 डी0 6, दिनांक 28.08.2010 को एस 0 सी0 डी0 7, दिनांक 17.09.2010 को एस 0 सी0 डी0 8 में अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश की गिरफ्तारी हेतु प्रयास व दविश का उल्लेख किया। दिनांक 25.09.2010 को एस 0 सी0 डी0 9 किता की गयी जिसमें अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश के दिनांक 23.09.2010 को न्यायालय हाजिर होने का उल्लेख व रोबकार हाजिरी न्यायालय से बयान की अनुमति का उल्लेख किया गया। रोबकार हाजिरी व बयान अनुमति केस डायरी के साथ संलग्न किया गया। दिनांक 03.10.2010 को एस 0 सी0 डी0 10 किता कर अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 105 ए, धारा 147,148,149,307,420 भा0 दं0 सं0 प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी। आरोप पत्र मूल पत्रावली एस 0 टी0 नं0 315/2011 पर कागज संख्या 3 अ/1 उसके लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–11 अंकित किया गया।

16– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उससे पहले इस मुकदमे की विवेचना एस०आई० श्री बाँकेलाल द्वारा की गयी थी। उसे विवेचना क्षेत्राधिकारी जलेसर के

आदेश पर पृष्ठाकंन क्रम में प्राप्त हुयी। उसके द्वारा विवेचना में अभियुक्तगण की पार्टी बन्दी संबन्धी कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आये। उसकी विवेचना में मुतालका फर्द व साक्षियो के कथन अनुसार वक्त गिरफ्तारी व घटना 18:15 था। शाम को 06:15 बजे अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया था। पुलिसपार्टी द्वारा आपस में जामातलाशी लेने का उल्लेख किया गया है। आपसी जामातलाशी लेने का समय का उल्लेख फर्द में नही है। फर्द में स्पष्ट उल्लेख है कि मौका सूचना पर पुलिस बल द्वारा आपस में जामातलाशी ली गयी है।

प्रश्न– क्या आपने अपनी पूरी विवेचना में कही पर यह उल्लेख किया है मौका सूचना मुखबिर द्वारा किस समय और कहाँ दी गयी है?

उत्तर –वादी व गवाहन फर्द के कथनो में मुखबिर की सूचना देने के स्थान उल्लेख किया है। समय का अंकन नहीं है।

प्रश्न– क्या आपने अपनी पूरी विवेचना में 161 दं0 प्र 0 सं0 के बयानों में अन्य किसी बयानों में कहीं भी यह उल्लेख किया है कि मौका ए मुखबिर सूचना कहाँ दी गयी क्या कही किसी जगह का उल्लेख किया है?

उत्तर– उसने वादी मुकदमा के धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 के बयानों में सूचना दिये जाने वाले स्थान का उल्लेख किया है। कां० बृजेश का बयान संक्षिप्त में लिखते हुये एस 0 आई 0 अजब सिंह के बयान के समर्थन क्रम में था तथा इसमें एस 0 आई 0 अजब सिंह का बयान पढ़ा जाये ।

प्रश्न– क्या आपने बृजेश का बयान शब्द ब शब्द लिखा था ?

उत्तर– उसने बृजेश का बयान शब्द ब शब्द लिखा था, उसने कहा था कि जो बयान दरोगा जी अजब सिंह ने दिया है वही उसका बयान है यही उसने सीडी में लिखा था। बृजेश कुमार द्वारा विस्तृत बयान नही दिया गया था।

उसने नक्शा नजरी दरोगा अजब सिंह की निशानदेही पर बनायी थी। नक्शा नजरी में क्रमाक संख्या 04 में अभियुक्तो द्वारा गाड़ी मोड़ने/फायर का सूचनाँक दर्शाया है। उसने अपनी नक्शा नजरी कागज संख्या 7 अ है जिस पर प्रदर्श क 02 अंकित है में संकेत बिन्दु 07 xxxx वह स्थान है जहाँ से अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना बताया जाता है। इसी स्थान पर अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी की गयी। उसने अपनी नक्शा नजरी में यह अंकित नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी के अन्दर से फायर किया गया अथवा बाहर से मात्र फायर का स्थान दर्शाया है। गाड़ी के अन्दर व बाहर से फायर किये जाने का उल्लेख गवाहो के बयानों में किया है। नक्शा नजरी में उसने फायर करने की दूरी व दिशा का उल्लेख नहीं किया है। मुकदमा से संबन्धित वाहन मार्शल व स्पेशिओ कार फर्द में अंकित है। स्कार्पिओ शब्द नक्शा नजरी में सहवन अंकित हुआ है इसे स्पेशिओ पढ़ा जाये। स्पेशेओ गाड़ी उसके द्वारा बरामद नहीं की गयी थी। मुल्जिम गिरफ्तार

होकर बरामद वाहन की प्रविष्टि जी0 डी0 में है और फर्द बरामदगी में इसका उल्लेख है। दौरान विवेचना स्पेशओ गाड़ी का नं० गवाहो के ब्यानो में आया था, हरियाणा का नं० था, उसे नं० याद नही है। उसने स्पेशिओ गाड़ी के मालिक के संबन्ध में कोई जानकारी नही की थी। बरामद माल सील मोहर हालत में उसने देखा था। वह अभियुक्तो से बरामदा सर्वे मौहर असलाह व कारतूस व नमूना मौहर को स्वयं लेकर अभियोजन अनुमति हेतु डी०एम० साहब के यहाँ गया था और वहाँ से अभियोजन अनुमति प्राप्त की थी जो पत्रावली पर है। विवेचना के समय उसने बरामद माल को न्यायालय में खोल कर नही देखा था। जिलाधिकारी द्वारा माल को खोलकर देखकर अभियोजन स्वीकृति दी गयी उसे पुनःसील सर्वे मुहर कर उसे दिया गया जो उसके द्वारा थाना निधौलीकलॉ में दाखिल किया गया। जिला मजिस्ट्रेट के मौखिक आदेश से माल खोला गया था। मुकदमा अपराध संख्या 161/10 धारा 307 भा0 दं0 सं0 में आरोप पत्र उसके द्वारा दिनांक 20.07.2010 को दाखिल किया गया। घटना दिनांक 14.07.2010 की है। उसने विवेचना दिनांक 17.07.2010 को ग्रहण की थी। उसके द्वारा विवेचना शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये गये जिस कारण उसके द्वारा दिनांक 20.07.2010 को चार अभियुक्तगण को विरूद्ध अपराध संख्या 161/10 में आरोप पत्र प्रेषित की गयी। अभियोजन स्वीकृति आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकरण की विवेचना पहले पर्चे के अलावा उसके द्वारा सम्पूर्ण की गयी है। विवेचना प्रारम्भ करने का समय उसके द्वारा अंकित नही किया गया है। सी0 ओ 0 का आदेश स्थानंतरण विवेचना दिनांक 17.07.2010 के मिला था समय याद नही है। यह कहना गलत है कि उसने घटना स्थल का मुआयना न किया हो। यह कहना भी गलत है कि उसने सारी विवेचना थाने पर बैठकर की हो। मुकदमा की विवेचना उसे अवागढ में नियुक्ति के दौरान मिली थी। वह अजब सिंह को थाना निधौलीकलॉ से लेकर घटना स्थल पर पहुँचा था व उनकी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया। बच्चू उर्फ रमेश की गिरफ्तारी उसके द्वारा नहीं की गयी थी। उसके द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया गया था। उसने बच्चू उर्फ रमेश का बयान लेने हेतु न्यायालय से अनुमति ली थी लेकिन उसके जेल पहुँचने से पूर्व वो रिहा हो चुका था। बच्चू उर्फ रमेश मौके पर नहीं पकड़ा गया था और न ही उसके द्वारा अभियुक्त से कोई बारमदगी नही हुयी थी। यह कहना गलत है कि उसने थाना निधौलीकलॉ पुलिस द्वारा किये गये गुड वर्क के चक्कर में झूठी विवेचना की है और अभियुक्तगण के विरूद्ध गलत रूप से आरोप पत्र दायर किया है।

17– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी०डब्लू०–04 उपनिरीक्षक रामबृज** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.07.2010 को वह थाना निधौलीकलॉ पर सी0 सी0 के पद पर तैनात था, उक्त दिनांक को एस 0 ओ 0 आर० पी० तिवारी द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी व 04 नफर अभियुक्त व 07

पुलिन्दा सर्वे मौहर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 161/10 धारा 147, 148, 149, 307 (पुलिस मुठभेड़) 420 भा0 दं0 सं0 व अ०सं० 162/10 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम चंदन व अ०सं० 163/10 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम कैलाश व अ०सं० 164/10 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम लाखन सिंह व अ०सं० 165/10 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम भूपेन्द्र सिंह चिक एफ०आई०आर० किता की थी जो पत्रावली पर कागज संख्या 3 अ/1 लगायत 3 अ/3 है। जो उसके द्वारा फर्द की शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर टंकणित की गयी थी। सभी अभियुक्तगण एक ही चिक एफ०आई०आर० से पंजीकृत हुये थे। मूल एफ०आई०आर० एस 0 टी0 315/11 धारा 147, 148, 149, 307 (पुलिस मुठभेड़) 420 भा0 दं0 सं0 में पत्रावलित है, जिस पर प्रदर्श क 12 डाला गया। जिसका खुलासा जी०डी० में रपट नं 44 दिनाँक 14.07.2010 समय 20:30 बजे में किया था, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसे वह आज प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क 13 डाला गया। अभियुक्तगण को अन्दर हवालात मर्दाना व बरामद माल को माल गृह में रख एच 0 एम० के सुपुर्द किया गया था। विवेचक ने दौरान विवेचना उसका ब्यान लिया था।

18– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसकी तैनाती के समय थाने पर थानाध्यक्ष आर० पी० तिवारी थे। वह थाना निधौलीकलॉ पर 2009 से सी0 सी0 के पद पर तैनात था। उसे थानाध्यक्ष ने फर्द बरामदगी दी थी जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। वह एस 0 ओ 0 के निर्देशन पर कार्य करता है। उसने एफ०आई०आर० दर्ज करने से पूर्व माल मुकदमा सील मौहर देखा था। दिनाँक 14.07.2010 को थाने पर कम्प्यूटर लग चुके थे। एफ०आई०आर० पर उसके हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि फर्द बरामदगी उसके सामने लिखी गयी थी। वह वर्तमान में हाथरस में तैनात है। यह कहना गलत है कि वह पुलिस में होने के कारण आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है। उसने पहले चिक एफ०आई०आर० काटी थी, फिर जी०डी० में प्रविष्टी की थी। चिक एफ०आई०आर० किता करने में लगभग 40 मिनट लगे थे। चिक एफ०आई०आर० समय 20:30 बजे से 21:10 बजे तक किता की थी, उसके बाद जी०डी० किता की थी। जी०डी० किता करने में लगभग 20–25 लगे थे। जी०डी० समय करीब 21:10 बजे किता करना शुरू किया था जिसे किता करने में लगभग 20–25 मिनट लगे थे। उसने चिक एफ 0 आई 0 आर 0 थानाध्यक्ष के निर्देश पर किता की थी। उसने एफ०आई०आर० कम्प्यूटर व जी०डी० हाथ से अंकित की थी। दोनो जी०डी० व एफ०आई०आर० किता करने का समय अलग अलग नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने एन्टी टाइम एफ०आई०आर० व जी०डी० किता की है। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में झूॅठी गवाही दे रहा है। मुकदमा उसने फर्द के आधार पर दर्ज किया था। घटना के कितने समय बाद उसने मुकदमा अंकित किया था। उसे

समय याद नहीं है जो मुल्जिम गिरफ्तार होकर आये थे। उसने उनसे कोई पूंछताछ नहीं की थी। बच्चू उर्फ रमेश गिरफ्तार होकर नहीं आया था। बाकी लोग गिरफ्तार होकर आये थे। यह कहना गलत है कि उसने एन्टी टाइम एफ०आई०आर० व जी०डी० किता की है। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में झूॅठी गवाही दे रहा है।

19– अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता "दाण्डिक" ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वादी मुकदमा एस०ओ० आर०पी० तिवारी तथा अधीनस्थ अन्य पुलिस कर्मियों पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय मशवरा होकर आयुधों से सज्जित होकर बल्बा करते हुए तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे वे बाल–बाल बच गये तथा अभियुक्तगण को घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त चन्दन सिंह गोले के कब्जे से एक पौनिया देशी 12 बोर, जिसकी नाल में एक कारतूस खोखा 12 बोर व पहले हुए पेंट की दाहिनी जेब से 02 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा व अभियुक्त कैलाश के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा एक खोखा कारतूस तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 01 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा एवं अभियुक्त लाखन के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 02 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए। अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्ति–गुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है। तद्नुसार दोष–सिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

20– अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पुलिसकर्मी है, जिनके बयानों में विरोधाभास है तथ्य का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है व अभियुक्तगण से बरामद तमंचा व कारतूस को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है, जिससे अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो जाता है।

21– अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि तमंचे से फायर हुआ होता तो पुलिस अवश्य घटनास्थल से छर्रे वगैरहा बरामद करती। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण के द्वारा कथित तमंचे से फायर किया गया। जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जब कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने के हकदार है।

22– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

23– सत्र परीक्षण संख्या–315/2011, सत्र परीक्षण संख्या–319/2011, सत्र परीक्षण संख्या–316/2011, सत्र परीक्षण संख्या–317/2011 एवं सत्र परीक्षण संख्या–318/2011 के निराकरण के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह हैं कि :–

(i)– **क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर बल्बा कारित किया गया ?**

(ii)– **क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसर करने में घातक आयुधो से सज्जित होकर बल्बा कारित किया गया ?**

(iii)–**क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा एस०ओ० आर०पी० तिवारी व उनके अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से घातक आयुधों से फायर कर हत्या का प्रयत्न कारित किया गया ?**

(iv)– **क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में अथवा उसके पूर्व महिलाओं को नकली सोने के बिस्कुट देकर उनके असली सोने के जेवरात उतरवाने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर छल कारित किया गया ?**

(v)– **क्या अभियुक्त चन्दन सिंह के कब्जे से एक पौनिया देशी 12 बोर, जिसकी नाल में एक कारतूस खोखा 12 बोर व पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब से 2 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा बरामद हुए ?**

(vi)– **क्या अभियुक्त कैलाश के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा एक खोखा कारतूस तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 1 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए ?**

(vii)– **क्या अभियुक्त लाखन के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 2 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए ?**

(viii)– **क्या अभियुक्त भूपेन्द्र के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 312 बोर तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 1 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए ?**

–निष्कर्ष–

24– प्रकरण में आये साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एवं उचित कमबन्धन की दृष्टि से उपरोक्त सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

25– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 14.07.2010 को वह एस0ओ0 आर० पी० तिवारी मय एस0आई0 अजय सिंह व हमराह कां० 690 धनपाल सिंह व कां० 302 राजमणि व कां० 258 अवधेश कुमार व कां० 1200 बृजेश कुमार मय जीप सरकारी नं0 UP82C0014 चालक कां० अजयपाल के थाना हाजा से व हवाले रपट नं0 32 समय 16:30 बजे विनावर वाहन चैकिंग व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि जब वह मय हमराही फोर्स के जलेसर निधौली रोड तकुआवर तिराहे पर पहुँचे तो जरिये मुखविर खास मिली कि नुयूखेडा की तरफ से दो गाडियों जिनमें एक मार्शल सफेद रंग नम्बर HR16C2743 दूसरी गाडी लाल रंग की स्पेशिओ नम्बर HR37A7832 में सवार होकर कुछ व्यक्ति ठगी करने वाले जिनके पास नाजायज असलाह भी रखते हैं और उनके पास सोने जैसे नकली बिस्कुट जमीन में डालकर नकल बिस्कुट के बदले में औरतों से पहने हुए जेवरात को उतरवा लेते हैं। इस सूचना को सही मानकर जनता के गवाहन फराहम करने की कोशिश की गई तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ तथा अपना काम बताकर बिना नाम, पता बताये चले गये व मजबूरी वश एस0ओ0 ने मय मुखविर के मय हमराही फोर्स आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बधित वस्तु नहीं है और गहनता से वाहन चैकिंग करने लगे थोड़ी ही देर में उक्त बताई हुई दोनो गाड़ियां दिखाई दिये, जो नौखेडा की तरफ से आ रही हैं और मुखविर इशारा करके चला गया तभी दोनों गाडियो के चालकों ने धीमी गति से पुलिस फोर्स की चैकिंग को देखकर गाडियां मोड़ने का प्रयास किया। हम पुलिस पार्टी सड़क के दोनो तरफ फैल करके आगे बढ़े, तभी तिराहे से करीब 45 कदम की दूरी पर समय 18:15 बजे मार्शल गाडी में बैठे व्यक्तियों ने अपने को घिरा जानकर उतरकर अपने हाथों में लिये ना नाजायज असलहे से फायर करना शुरू कर दिया तभी हम पुलिस पार्टी ने दुबारा कारतूस भरने का मौका न देकर जान की परवाह न करते हुए चार व्यक्तियों को पकड़ लिया पीछे आने वाली लाल रंग की स्पेशिओ गाडी नौखेडा की तरफ फायर करके भगा ले गया। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्तगण को पकड़ा गया और उनके पास से फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 में अंकित तमंचा तथा कारतूस बरामद हुआ, जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध होकर मामले में विवेचना की गयी और विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र संस्थित किया गया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। उसके पश्चात आरोप विरचित कर विचारण सम्पन्न किया गया।

26– उपरोक्त आरोपों को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में तथ्य के साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक धनपाल सिंह (पी०डब्लू०–01), हेड कां० ब्रजेश कुमार (पी०डब्लू०–02), विवेचक उपनिरीक्षक लवकुश शर्मा (पी०डब्लू०–03) एवं उपनिरीक्षक रामबृज (पी०डब्लू०–04) को परीक्षित कराया गया है।

27– अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक धनपाल सिंह (पी०डब्लू०–01) के द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में कथानक का समर्थन किया है तथा जिरह के पेज क्रमांक–03 पर कथन किया है कि मुखविर ने सूचना उसे नहीं दी थी, एस०ओ० साहब को दी थी। सूचना मिलने के बाद हम जलेसर की तरफ नहीं गये थे। हम समस्त पुलिस बल ने गाड़ियों को रूकवाया था। एक गाड़ी स्पेशियो भाग गयी थी। उसमें कितने लोग बैठे थे, ये वह नहीं देख पाया था। इस साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 04 पर कथन किया है कि इस घटना में किसी भी पुलिस बल को किसी भी प्रकार की फायर आर्म इंजरी नहीं आयी थी और न ही किसी अन्य प्रकार की चोट आयी थी। अभियुक्त बब्चू उर्फ रमेश मौके पर नहीं पकड़ा गया और न ही उसने बच्चू उर्फ रमेश को फायर करते देखा था।

28– इसी प्रकार वादी मुकदमा के हमराह अभियोजन साक्षी हेड कां० ब्रजेश कुमार (पी०डब्लू०–02) के द्वारा वादी मुकदमा एस०ओ० आर०पी० तिवारी व हमराह उपनिरीक्षक अजब सिंह की मृत्यु होने का कथन करते हुए फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–01 को एस०ओ० आर०पी० तिवारी द्वारा बोलने पर हमराह उपनिरीक्षक अजब सिंह द्वारा लिखना बताते हुए किया है। न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में कथानक का समर्थन किया है तथा उक्त साक्षी ने अपने जिरह के पेज क्रमांक 02 में कथन किया है कि इस घटना के सम्बन्ध में क्षेत्र में गये थे। इसका इन्द्राज जी०डी० में करके गये थे, लेकिन फाइल देखकर कहा कि रवानगी जी०डी० में नहीं है। वह थाने से 06:00 व 06:30 बजे क्षेत्र पर चले थे जब क्षेत्र में जाते है तो सरकारी असलहा लेकर जाते है, लेकिन फर्द में कहीं पर उल्लेख नहीं है कि सरकारी असलहा हम लोग साथ लेकर गये थे, जिस गाडी से गये थे उसका नम्बर UP82G0014 था। इस साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 03 पर कथन किया है कि मुल्जिमों ने एक एक फायर किया था। फर्द बरामदगी में फायर करना अंकित है, किन्तु एक–एक फायर किया ये अंकित नहीं है पुलिस ने प्रतिरक्षा में कोई फायर नहीं किया। हमने मुल्जिम को 50 गज की दूरी से देखा था। फायर करके भागने लगे तब हम लोगो ने दौड कर पकडा। मुल्जिमानों को हमने 50–60 मीटर पर दौड़कर पकड़ा मुल्जिमान अलग–अलग दिशा में भाग रहे थे। इस वक्त उसे याद नहीं है कि वह किस मुल्जिम को पकड़ा था, क्योंकि कि घटना को 15 साल हो गया किस मुल्जिम की तलाशी ली थी, ये भी उसे याद नहीं है पकड़ने के बाद तलाशी लेकर मौका पर ही फर्द बनायी गयी। न्यायालय में प्रस्तुत तमंचों में कौन से किस अभियुक्त से बरामद हुए याद नहीं है, क्योकि घटना को काफी समय हो गये है। मुकदमा

अपराध संख्या–163/2010 इस वक्त नहीं खुल रहा, किन्तु जब बरामद हुआ था तब चालू हालत में था बरामद पीली धातु जिस डिब्बी में पैक किया गया उसके मारके का उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं है। फर्द की नकल का अभियुक्त कैलाश ने क्या किया उसे याद नही है। अभियुक्त कैलाश से तमंचा कारतूस व पीली धातु बरामद हुयी थी एक गाडी भी बरामद हुयी थी। यह गााडी किसकी थी उसे ध्यान नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त कैलाश से कुछ बरामद हुआ था यह नही उसे याद नहीं है। मार्शल गाडी जो बरामद हुयी थी उस एच आर नंबर था, अंक ध्यान नही है। बरामद मार्शल थाने लेकर आये थे। यह कहना गलत है हम लोग घटना स्थल पर न गये है। यह कहना भी गलत है अभियुक्त कैलाश कोई फायर न किया है। यह कहना भी गलत कि अभियुक्त कैलाश से कोई तमंचा व कारतूस व पीली धातु बरामद न हुयी है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त कैलाश को घटना स्थल से न पकडा और घर से पकड कर तमंचा व कारतूस व पीली धातु लगाकर झूंठा चलान कर दिया है। यह कहना भी गलत कि पुलिस में तैनात होने के नाते झूठी गवाही दे रहा है। जब हम लोग थाने से चलते है, तो उसका इन्दाज जी०डी० पर इन्द्राज करते है। कार्यवाही का पूरा उल्लेख फर्द बरामदगी में किया गया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक 04 में कथन किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत तमंचा व पीली धातु को देखकर वह नहीं बता सकता कि अभियुक्त चन्दन व लाखन से कौन से तमंचा व कौन सी पीली धातु बरामद हुयी थी। उसने किस अभियुक्त को पकड़ा था, ये उसे याद नहीं है। उसने अभियुक्तगण से बरामदगी की थी लेकिन यह याद नहीं है किस मुल्जिम से बरामद हुआ था। वह बच्चू उर्फ रमेश को जानता पहचनता नही था। बच्चू उर्फ रमेश द्वारा कोई फायर नहीं किया गया था। इस घटना में पुलिस बल के कोई फायर आर्म इन्जरी नही आयी न ही कोई चोटे आयी थी। पास में ईट भटटा था, जिस पर मजदूर रहते है लेकिन इस घटना में जनता का कोई गवाह नही था। बच्चू उर्फ रमेश मौके पर नहीं पकड़ा गया था। बच्चू उर्फ रमेश न्यायालय में हाजिर हुआ या पुलिस द्वारा गिरफतार हुआ इसकी उसे जानकारी नही है फर्द उसके द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। यह कहना गलत है कि एस०ओ० साहब द्वारा फर्जी गुड वर्क दिखाने के लिए झूंठी कार्यवाही की है।

29– अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक लवकुश कुमार शर्मा (पी०डब्लू०–03) के द्वारा इस अपराध से सम्बन्धित विवेचना के तथ्य को न्यायालय के समक्ष प्रकट किया गया है तथा अ०सं०–161/2010 की नक्शा नजरी को प्रदर्श क–02, अ०सं०–161/2010 की आरोप पत्र संख्या–105/2010 को प्रदर्श क–03 तथा अ०सं०–162/2010 के आरोप पत्र संख्या–106/2010 को प्रदर्श क–04, अ०सं०–163/2010 के आरोप पत्र सं०–107/2010 को प्रदर्श क–05, अ०सं०–164/2010 के आरोप पत्र सं०–108/2010 को प्रदर्श क–06, अ०सं०–165/2010 के आरोप पत्र सं०–109/2010 को प्रदर्श क–07, अ०सं०–162/2010 के अभियोजन स्वीकृति आदेश को प्रदर्श क–08, अ०सं०–

163/2010 के अभियोजन स्वीकृति आदेश को प्रदर्श क–09, अ०सं०–164/2010 के अभियोजन स्वीकृति आदेश को प्रदर्श क–10, अ०सं०–161/2010, आरोप पत्र संख्या–105 ए/2010 को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने जिरह के पेज क्रमांक 03 में कथन किया है कि उसके द्वारा विवेचना में अभियुक्तगण की पार्टीबन्दी सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आये। उसकी विवेचना में मुतालका फर्द व साक्षियों के कथन अनुसार वक्त गिरफ्तारी व घटना 18:15 था। शाम को 06:15 बजे अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया था। पुलिसपार्टी द्वारा आपस में जामातलाशी लेने का उल्लेख किया गया है। आपसी जामातलाशी लेने का समय का उल्लेख फर्द में नहीं है। वादी व गवाहन फर्द के कथनों में मुखविर की सूचना देने के स्थान उल्लेख किया है। समय का अंकन नहीं है। नक्शा नजरी में क्रमांक संख्या 04 में अभियुक्तो द्वारा गाडी मोडने/फायर का सूचनांक दर्शाया है। उसने अपनी नक्शा नजरी में यह अंकित नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी के अन्दर से फायर किया गया अथवा बाहर से मात्र फायर का स्थान दर्शाया है। स्पेशेओ गाड़ी उसके द्वारा बरामद नहीं की गयी थी। उसने स्पेशियों गाड़ी के मालिक के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं की थी।

30– इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 में वर्णित जब्तशुदा माल को उसके द्वारा न तो खोला गया और न ही अभियोजन स्वीकृति के समय जिला मजिस्ट्रेट को उसके द्वारा खोलकर चैक किया गया। ऐसी दशा में विहित प्रक्रिया का अनुपालन अभियोजन स्वीकृति प्रदाय करते समय नहीं किया जाना प्रकट है।

31– अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक रामबृज (पी०डब्लू०–04) के द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 के आधार पर अ०सं०–161/2010 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–12, जी०डी० को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसे थानाध्यक्ष ने फर्द बरामदगी दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। यह कहना गलत है कि फर्द बरामदगी उसके सामने लिखी गयी थी।

32– अभियोजन द्वारा पत्रावली पर धारा 39 आयुध अधिनियम के अंतर्गत जारी अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श क–05 को सत्र वाद संख्या–89/2025 में परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार शर्मा व प्रदर्श क–8 लगायत प्रदर्श क–10 को सत्र परीक्षण संख्या–315/2011 में परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार शर्मा द्वारा प्रदर्शित कराया गया है, उक्त साक्षी के द्वारा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, एटा के हस्ताक्षर की न तो पहचान की गयी है और न ही ऐसा कोई कथन किया गया है कि उक्त साक्षी अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर से परिचित है। अभियोजन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय एटा से किसी अधिकारी/कर्मचारी

को आहूत कर उक्त स्वीकृति आदेशों को साबित नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में अभियोजन स्वीकृति प्रमाणित न होने के कारण उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

33– पत्रावली में आई साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियोजन द्वारा जिन तमंचों को जब्त करना बताया जा रहा है, उसे विशेषज्ञ जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। इस सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट अभिलेख नहीं है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 में जब्ती के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। घटनास्थल जहाँ बताया गया है वह निधौली जलेसर रोड तकुआवर मोड़ पर स्थित है, जिसका उल्लेख नक्शा नजरी प्रदर्श क–02 में है। उक्त घटनास्थल के बगल में भटठा भी होना दर्शित है, जहॉ पर लोग काम भी कर रहे थे। अभियोजन साक्षीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किया गया है कि घटनास्थल पर लोग आ जा रहे थे। इसके बावजूद किसी स्वतंत्र साक्षी को फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 की कार्यवाही के समय उपस्थित न होना अभियोजन कथानक में सन्देह उत्पन्न करता है। विवेचक लवकुश कुमार शर्मा (पी०डब्लू०–03) के द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथन में यह ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि विवेचना के दौरान पब्लिक के गवाह को तलाशने की कोशिश की हो, जबकि विवेचक का यह कर्तव्य था कि वह विवेचना के प्रक्रम पर घटना स्थल के आसपास के लोगों से पूँछतांछ करता, परन्तु ऐसा कोई प्रयास विवेचक के द्वारा नहीं किया गया है, जो विवेचना में सन्देह उत्पन्न करता है। इसके अतिरक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 को तैयार किये जाते समय भी वादी मुकदमा व हमराहीगण के द्वारा भी किसी जनसाक्षी को बुलाये जाने का प्रयास न किया जाना अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

34– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा पुलिस बल पर तमंचे से फायर किया जाना अभियोजन द्वारा कहा जा रहा है, परन्तु किसी भी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं पहुँची है। अभियोजन साक्षीगण के कथनानुसार घटना स्थल के पास लोग आ–जा रहे थे, यदि कोई व्यक्ति तमंचे से नजदीक से फायर करे तो सम्भावना है कि किसी न किसी व्यक्ति को गोली अथवा छर्रे लगेंगे। घटना में कोई भी पुलिस कर्मी आहत नहीं हुआ है। नक्शा–नजरी प्रदर्श क–02 में वर्णित घटनास्थल पर चली हुई गोली या उसके छर्रे बरामद नहीं किये गये हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था।

35– अभियुक्तगण पर महिलाओं को नकली सोने की बिस्कुट देकर उनके असली सोने के जेवरात उतारने के लिए महिलाओं को बेईमानी से उत्प्रेरित कर छल कारित करने का भी आरोप है, परन्तु अभियोजन के द्वारा किसी भी ऐसी महिला को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं किया गया है, जिसके साथ अभियुक्तगण के द्वारा छल कारित किया गया हो। अभियुक्तगण के पास से नकली या असली सोने के कोई जेवरात भी बरामद नहीं हुए हैं।

पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे परिलक्षित होता हो कि अभियुक्तगण के द्वारा महिलाओं को बेईमानी से उत्प्रेरित कर छल कारित किया गया।

36– इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब पुलिस का कोई अधिकारी थाने से रवाना होता है उसकी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा में होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में पुलिस बल की रवानगी का कोई रोजनामचा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है।

37– विधि व्यवस्था **रामपाल प्रति उ०प्र० राज्य 2005 (52) ए०सी० सी० 458** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जी०डी० रवानगी पुलिस कर्मचारियों की घटनास्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु एक अहम दस्तावेज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सम्मानित निर्णयज के पैरा–10 में यह अवधारित किया गया है कि यदि जी०डी० रवानगी अभियोजन द्वारा दाखिल कर सिद्ध नहीं की गयी है तो पुलिस कर्मचारीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है।

38– फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में स्वतंत्र साक्षी के रूप में किसी भी साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं है और यह भी उल्लेख नहीं है कि जनता के किस गवाह को साक्षी के रूप में उपस्थिति के बाबत पुलिस बल द्वारा अनुरोध किया गया।

39– विधि व्यवस्था **बचन सिंह प्रति उ०प्र० राज्य 2005 (52) ए०सी०सी० 916** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पुलिस ने वास्तविक रूप से जनता के गवाह के लिए प्रयास किया और कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्हें निश्चित ही उनके नाम लिखने चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो जनसाक्षी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी/बरामदगी अभियोजन कथानक के लिए घातक होगी।

40– विधि व्यवस्था **नारायन सिंह प्रति उ०प्र० राज्य 2005 (52) ए०सी०सी० 902** में माननीय उच्चन्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि गिरफ्तारी/बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह न होने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

41– इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था **ध्यान सिंह प्रति उ०प्र० राज्य 2006(55) ए०सी० सी० 211** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि गिरफ्तारी/बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है, साथ ही साथ यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि समस्त गवाह पुलिस के कर्मचारी हैं और किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसे में अभियोजन कथानक पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

42– हस्तगत प्रकरण में साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक धनपाल सिंह (पी०डब्लू०–01), हेड कां० ब्रजेश कुमार (पी०डब्लू०–02), विवेचक लवकुश कुमार शर्मा (पी०डब्लू०–03) एवं

उपनिरीक्षक रामबृज (पी०डब्लू०–04) के कथनों तथा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में उल्लिखित तथ्यों में गम्भीर विरोधाभास है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तगण की जामा तलाशी से पहले पुलिस बल के द्वारा स्वयं की जामा तलाशी आपस में ली गयी हो। जब्ती के समय जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी भी पुलिस के द्वारा नहीं बनाया गया है। अभियोजन द्वारा पौनिया, तमंचे व कारतूस की जब्ती को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित नहीं किया जा सका है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों में गम्भीर विरोधाभास होने के कारण अभियोजन यह तथ्य स्थापित नहीं कर सका है कि दिनांक 14–07–2010 को अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया। अभियोजन यह भी स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त चन्दन सिंह गोले के कब्जे से एक पौनिया देशी 12 बोर, जिसकी नाल में एक कारतूस खोखा 12 बोर व पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब से 2 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा बरामद हुए, अभियुक्त कैलाश के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा एक खोखा कारतूस तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 1 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा अभियुक्त लाखन के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 2 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए, अभियुक्त लाखन के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 2 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए एवं अभियुक्त भूपेन्द्र के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 1 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए । अभियोजन द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 में वर्णित तथ्यों को तथा अभियुक्तगण के पास से पौनिया, तमंचा एवं कारतूस की जब्ती को साबित नहीं किया जा सका है।

43– इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों साक्ष्यों व उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 14–07–2010 को अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा आर०पी० तिवारी व अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर पौनिया 12 बोर व 315 बोर के तमंचे से विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा महिलाओं के साथ छल कारित किया गया और अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह भी साबित करने में असफल रहा है कि वादी मुकदमा व उसके अधीनस्थ पुलिस कर्मी द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से नाजायज पौनिया 12 बोर व तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा खोखा कारतूस बरामद किये गये। अतः अभियुक्तगण आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 307/149, 420 भा०दं०सं० एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण **बच्चू उर्फ रमेश, चन्द्र सिंह, कैलाश चन्द्र एवं लाखन सिंह** को **सत्र परीक्षण संख्या–315/2011**, मुकदमा **अ०सं०–161/2010**, थाना **निधौलीकलॉ**, जनपद **एटा** के आरोप अंतर्गत धारा **147, 148, 307/149, 420 भा०दं०सं०** के दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त **कैलाश चन्द्र** को **सत्र परीक्षण संख्या–316/2011** मुकदमा **अ०सं०–163/2010**, थाना **निधौलीकलॉ**, जनपद **एटा** के आरोप अंतर्गत धारा **25 आयुध अधिनियम** के दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ देते हुए, **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त **लाखन सिंह** को **सत्र परीक्षण संख्या–317/2011** मुकदमा **अ०सं०–164/2010**, थाना **निधौलीकलॉ**, जनपद **एटा** के आरोप अंतर्गत धारा **25 आयुध अधिनियम** के दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ देते हुए, **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त **भूपेन्द्र सिंह** को **सत्र परीक्षण संख्या–318/2011** मुकदमा **अ०सं०–165/2010**, थाना **निधौलीकलॉ**, जनपद **एटा** के आरोप अंतर्गत धारा **25 आयुध अधिनियम** के दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ देते हुए, **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त **चन्दन सिंह** को **सत्र परीक्षण संख्या–319/2011** मुकदमा **अ०सं०–162/2010**, थाना **निधौलीकलॉ**, जनपद **एटा** के आरोप अंतर्गत धारा **25 आयुध अधिनियम** के दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ देते हुए, **दोषमुक्त** किया जाता है।

माल मुकदमा कथित बरामदशुदा एक पोनिया 12 बोर (जिसकी नाल में फॅसा एक खोखा कारतूस), 3 अदद तमंचा 315 बोर (1 अदद तमंचे की नाल में फॅसा एक खोखा कारतूस) व 6 जिन्दा कारतूस 315 बोर, माचिस की डिब्बी, पीली धातु का टुकड़ा इत्यादि (वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–27) अपील अवधि के उपरान्त अथवा अपील होने की दशा में, अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विधिक अपेक्षा के अनुरूप नष्ट किये जावे।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव0–20,000/–रूपये, 20,000/– (बीस हजार रूपये, बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

इस आदेश की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–316/2011, राज्य बनाम कैलाश, सत्र परीक्षण संख्या–317/2011 राज्य बनाम लाखन सिंह, सत्र परीक्षण संख्या–

318/2011 राज्य बनाम भूपेन्द्र सिंह एवं सत्र परीक्षण संख्या–319/2011 राज्य बनाम चन्दन में रखी जावे।

दिनांक 01–05–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 01–05–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690